जनपद - जालौन,उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 103, दिनांक – 09.10.2019

आज दिनांक 09.10.2019 को थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित अन्तर्राज्यीय अभियुक्तगणों को लूटे गये माल व अवैध असलाह सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरणः-

1 – महेश चन्द्र पुत्र तुलसीराम निवासी डमनापुरा चौकी मछन्द थाना मिहौना जनपद भिन्ड (म0प्र0)।

2 - आंशू उर्फ प्रिन्स वर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार वर्मा निवासी सैदपुर उवारी थाना कुठौन्द जनपद जालौन हाल पता ¾ पावर हाउस कालौनी, थाना नौवस्ता जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरणः-

1 – 02 अदद तमन्चा 315 बोर।

2 – 04 अदद कारतूस 315 बोर।

3 – 01 अदद बोलेरो न0- यूपी-78 एफआर-9872।

4 - 1500 रूपये।

5 – 01 अदद मोबाइल (सैमसंग)।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समयः-

अभियुक्तगणों को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कुठौन्द के ग्राम मदारीपुर सिरसाकलार रोड के पास से आज दिनांक 09.10.2019 को समय 04.30 AM बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.10.2019 को वादी मुकदमा श्री शहरोज अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम जाफरपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली की तहरीरी सूचना पर दिनांक 08.10.2019 को हदरूख पुल के पास रात्रि में ट्रक न0 UP 25 DT 1025 के हेल्पर/वादी शहरोज द्वारा उसके ट्रक के ड्राइवर व हैल्पर जो जिला झासी से ट्रक में गिट्टी लेकर जनपद बरेली जा रहे थे जिसे हदरूख पुल के पास रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रक रुकवाकर ड्राइवर व हैल्पर से तमंचे के बल पर मारपीट कर 2200 रूपये लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 231/2019 धारा 394/323/504/506 भादवि वनाम बोलेरो न0- UP-78 FR-9872 पर सवार तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 सतीश कुमार द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की शाघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जालौन श्री सुबोध गौतम के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कुठौन्द की टीम को लगाया गया था।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुठौन्द पुलिस मय हमराह फोर्स थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर, वांछित/ पुरुस्कार घोषित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर 02 अभियुक्तों को अवैध असलाह के साथ ग्राम मदारीपुर सिरसाकलार रोड के पास से गिरफ्तार किया गया एवं मु0अ0स0 231/2019 धारा 394/323/504/506 भादवि में धारा 411 की बड़ोत्तरी की गई।

इस सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर मु0अ0सं0 232/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट वनाम आंशू उर्फ प्रिन्स वर्मा व मु0अ0सं0 233/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट वनाम महेशचन्द्र उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूंछतांछ पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग पैसों की जरूरत पूरा करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से एकान्त में ट्रक के आगे अपनी बोलेरो लगाकर ट्रक रुकवा लेते हैं फिर तमंचे का डर दिखाकर ट्रक चालकों के रूपये लूट कर भाग जाते हैं आज भी हम लोगों ने इस प्रकार की घटना कारित करने की योजना बनाई थी कि थाना पुलिस द्वारा पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त आंशू उर्फ प्रिन्स वर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार वर्मा का आपराधिक इतिहासः-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	05/17	392/411भादवि	कुठौन्द	जालौन
2	09/17	4/25 आर्म्स एक्ट	कुठौन्द	जालौन
3	10/17	411/420/467/468/471 भादवि	कुठौन्द	जालौन
4	243/17	3(1) गैंगस्टर	कुठौन्द	जालौन
5	277/17	392 भादवि	कुठौन्द	जालौन
6	278/17	41/411/420 भादवि	कुठौन्द	जालौन

-

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः –

1 – प्रभारी निरीक्षक दीपक मिश्रा थाना कुठौन्द जनपद जालौन।

2 - उ0नि0 श्री दिव्य प्रकाश तिवारी कुठौन्द जनपद जालौन।

3 – उ0नि0 अनिल कुमार सिंह चौहान कुठौन्द जनपद जालौन।

4 – उ0नि0 राकेश कुमार कुठौन्द जनपद जालौन।

5 – का0 1267 अजय कुमार कुठौन्द जनपद जालौन।

6 - का0 1461 राहुल सिंह कुठौन्द जनपद जालौन।

7 - का0 1277 विजय प्रताप कुठौन्द जनपद जालौन।

8 – का0 1278 रिंकू चाहर कुठौन्द जनपद जालौन।

9 - का0 चालक अखिलेश कुमार कुठौन्द जनपद जालौन।